

कार्यालय टिप्पणी




श्रीमान जी,


निवेदन है कि अधिनियम की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने के 90 दिवस के भीतर विवाह के पक्षकारों के प्रार्थना पत्र का निस्तारण नहीं होता तो प्रार्थना पत्र स्वतः ही निरस्त हो जाता है। विवाह के पक्षकारों द्वारा उपस्थित होकर आज दिनांक तक कोई प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया है। अतः प्रार्थना पत्र का आशयित विवाह का प्रार्थना पत्र स्वतः निरस्त हो चुका है।

आदेशार्थ प्रस्तुत है।

~~ADम~~

प्रार्थना पत्र स्वतः निरस्त होने के
कारण निरस्त किया जा रहा है।


28/9/20


28/9/20

M.R. Cell.